भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3400

उत्तर देने की तारीख- 20.03.2025

डीएपीएसटी/एसटीसीपी

3400. श्री जी.कुमार नायक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)/अनुसूचित जनजाति घटक योजना (एसटीसीपी) के अंतर्गत निधि आवंटन और निगरानी संबंधी दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख): कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा इन दिशानिर्देशों के पालन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग): क्या अनुपालन संबंधी आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं;

(घ): क्या सरकार का डीएपीएसटी/एसटीसीपी के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग में सुधार के लिए कोई विधि लाने का विचार है; और

(ड.): यदि नहीं, तो ऐसे उपाय न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(**क):** नीति आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियां निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नीति आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (पूर्ववर्ती टीएसपी) के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश 2017 में जारी किए गए थे। दिशानिर्देश, 2017 और पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार:

- मंत्रालयों/विभागों को योजनाओं के कुल आवंटन का एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।
- निर्धारित प्रतिशत जनसंख्या अनुपात के 50% से कम नहीं होना चाहिए या टास्क फोर्स द्वारा तय किया जाना चाहिए या वास्तविक संख्या द्वारा तय किया जाना चाहिए, जो भी अधिक हो।
- मंत्रालयों/विभागों को एससीएसपी के लिए निर्धारित निधियों को एक अलग लघु शीर्ष '789' के अंतर्गत तथा डीएपीसटी के लिए निर्धारित निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत रखना आवश्यक है।
- संबंधित मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में सबसे कमजोर सामुदायिक समूहों को मुख्यधारा में लाना सुनिश्चित करना चाहिए
- मंत्रालय/विभाग अंतरों का अनुमान लगा सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे सकते हैं तथा अंतरों को पाटने के लिए योजनाएं बना सकते हैं।
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, विशेषकर लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के अंतर्गत आवंटन का राज्य-वार वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए।

- निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत किया जाए।

मंत्रालय योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशानिर्देश' विषय पर जारी दिनांक 18.06.2014 के परिपत्र को कार्यान्वित करता है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, टीएसपी की निगरानी के लिए निम्नलिखित संस्थागत ढांचे स्थापित करेंगे जैसे कि शीर्ष स्तरीय समिति या राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नोडल विभाग के मंत्री होंगे; तथा वार्षिक टीएसपी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति। कुल योजना परिव्यय से टीएसपी के अंतर्गत निर्धारित निधियां राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होंगी।

(ख) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन, डीएपीएसटी निधियों के आवंटन और व्यय की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बाध्य मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकें आयोजित करता है। डीएपीएसटी निधि की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा वेब पते: https://stcmis.gov.in के साथ एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। साथ ही, मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन नामत: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं।

मंत्रालय/विभाग और नीति आयोग तीसरे पक्ष के माध्यम से सीएस और सीएसएस योजनाओं का मूल्यांकन कराते हैं। नीति आयोग ने 2020-21 में समाप्त हुए ईएफसी चक्र के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया है, जिसमें मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, टीआरआई को सहायता, लघु वनोपज के लिए एमएसपी, टीएसएस को एससीए, पीवीटीजी का विकास, जनजातीय महोत्सव, बुनियादी ढांचा, जन शिक्षा जैसी योजनाएं शामिल हैं।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना-वार और मंत्रालय/विभाग-वार आवंटन प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10बी में अलग से दिया जाता है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पीएम जनमन और डीएजेजीयूए के अंतर्गत आवंटन क्रमशः केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल के विवरण 10बीबी और 10बीबीबी में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार डीएपीएसटी आवंटन और व्यय **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) से (ड.): वर्तमान में, मंत्रालय निम्नलिखित कारणों से निधि आवंटन और उपयोग में सुधार के लिए केंद्रीय स्तर पर कोई विधान (कानून) लाने पर विचार नहीं कर रहा है:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में, बाध्य मंत्रालयों/विभागों के कुल योजना बजटीय आवंटन में से 1,27,434.20 करोड़ रुपये (संघ राज्यक्षेत्र आवंटन को छोड़कर) डीएपीएसटी निधियों के रूप में आवंटित किए गए हैं, जो वित्त वर्ष 2013-14 (24594.45 करोड़ रुपये) की तुलना में डीएपीएसटी निधियों के आवंटन में पांच गुना से अधिक की वृद्धि है।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएपीएसटी निधि का उपयोग संशोधित अनुमान के 92% से अधिक रहा है।
- उचित लेखांकन और निगरानी के लिए तथा उनका किसी अन्य योजना में गैर-विचलन (गैर-विपथन) सुनिश्चित करने के लिए डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियों को सभी बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके 'अनुदानों की विस्तृत मांगों' में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के नीचे लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- नीति आयोग नियमित रूप से मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है, और आवश्यकतानुसार अद्यतित या नए दिशानिर्देश जारी करता है।
- मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन नामत: पीएम जनमन और डीएजेजीयूए शुरू किए हैं। विधेयक को अधिनियमित करने से, डीएपीएसटी का दायरा सीमित हो सकता है और मंत्रालय को अजजा और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संतृप्ति मोड में इस तरह की नई पहल शुरू करने से रोका जा सकता है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य जनजातीय उप-योजना के संबंध में पर्याप्त आवंटन और प्रभावी व्यय सुनिश्चित करने के लिए कानून अधिनियमित किए हैं।

अनुलग्नक

"डीएपीएसटी/एसटीसीपी" के संबंध में श्री जी.कुमार नायक द्वारा दिनांक 20.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3400 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय/विभाग-वार डीएपीएसटी आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2021-22		2022-23		2023-24	
		ब.अ.	**व्यय**	**ब.अ.**	**व्यय**	**ब.अ.**	**व्यय**
1	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	115.50	98.46	85.82	96.01	104.21	106.83
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	10,528.73	10,073.20	10,606.04	8,516.43	9,811.05	9,228.71
3	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	265.29	222.82	327.20	166.48	376.92	209.17
4	वाणिज्य विभाग	25.00	15.53	25.51	24.51	25.37	25.51
5	उपभोक्ता मामले विभाग	1.92	1.92	1.08	0.75	0.80	1.09
6	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	5,897.18	4,310.62	6,615.80	6,109.97	7,615.90	7,479.76
7	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	61.04	46.69	60.66	43.50	58.48	48.29
8	उर्वरक विभाग	3,592.57	6,782.83	4,395.03	10,956.32	7,699.72	8,403.08
9	मत्स्य पालन विभाग	91.52	109.38	172.71	100.47	182.59	133.39
10	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	10,814.48	12,389.97	9,152.54	12,756.53	9,359.15	9,598.62
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4,260.20	4,262.70	5,400.57	4,741.23	4,830.41	4,134.09
12	उच्चतर शिक्षा विभाग	1,963.45	1,459.86	1,986.00	1,841.56	2,061.00	1,983.06
13	भूमि संसाधन विभाग	215.01	223.76	228.32	23.92	239.58	201.77
14	औषध विभाग	17.00	--	18.17	23.35	26.45	15.88
15	ग्रामीण विकास विभाग	15,127.24	18,652.60	18,296.61	17,701.14	20,400.56	18,799.47
16	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5,297.40	4,199.99	6,093.66	5,288.89	6,824.04	5,642.10
17	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	125.45	93.63	124.37	71.18	119.40	38.50
18	दूरसंचार विभाग	401.01	411.73	408.50	188.20	453.65	539.05
19	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	197.17	354.52	791.50	220.49	358.00	298.01
20	आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय	35.80	34.71	72.00	43.42	71.00	54.91
21	कोयला मंत्रालय	36.11	72.59	27.05	41.62	48.46	51.12
22	सहकारिता मंत्रालय	--	--	62.79	--	4.74	--
23	संस्कृति मंत्रालय	19.57	32.66	22.90	35.81	27.98	35.58
24	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	716.87	715.09	754.95	239.54	1,690.00	754.30

25	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	456.03	347.52	715.30	254.56	833.50	535.22
26	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	152.00	123.54	165.20	106.80	159.00	158.19
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	47.30	28.61	77.40	13.28	67.26	40.62
28	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	174.50	565.99	790.66	953.43	1,204.01	1,063.61
29	श्रम और रोजगार मंत्रालय	1,084.12	1,960.57	1,389.69	1,188.34	1,069.42	913.39
30	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	350.50	1,468.58	1,678.87	2,469.77	1,883.09	2,222.75
31	खान मंत्रालय	15.03	17.48	20.70	20.64	18.40	18.37
32	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	486.00	235.91	384.00	349.48	572.00	381.28
33	पंचायती राज मंत्रालय	78.86	125.08	72.00	76.50	83.51	83.51
34	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	555.99	92.23	241.00	286.15	77.96	498.49
35	विद्युत मंत्रालय	765.60	...	584.08	--	957.23	763.36
36	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	4,125.00	4,501.10	4,545.00	6,287.30	23,375.00	18,495.36
37	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	191.83	146.16	203.33	84.46	251.29	157.73
38	वस्त्र मंत्रालय	202.79	157.61	176.73	169.03	187.00	170.34
39	पर्यटन मंत्रालय	82.00	...	97.85	18.32	98.50	...
40	जनजातीय कार्य मंत्रालय	7,484.07	6,125.51	8,406.92	7,225.29	12,386.00	7,473.32
41	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2,077.93	1,967.27	2,145.00	2,111.40	2,166.00	2,571.91
42	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	121.25	102.16	161.15	126.69	165.10	123.03
		78,256.31	82,530.58	87,584.66	90,972.76	1,17,943.73	1,03,452.77

स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण 10ख

*****